भारत गणराज्य द्वारा निष्पादित वायु सेवा करार से संबंधित सूचना के प्रकाशन/साझाकरण हेतु दिशानिर्देश

वायु सेवा करार/वायु परिवहन करार ("ए.एस.ए.") एक ऐसी संधि है, जिसका आधार शिकागो सम्मेलन (Chicago Convention) के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत प्राप्त होता है, जो दो देशों के मध्य अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वायु परिचालन हेतु विधिक ढांचा प्रदान करती है।

व्यापक रूप से, ए.एस.ए. राष्ट्रों की संप्रभुता, वाहकों की राष्ट्रीयता तथा प्रत्येक संविदात्मक पक्ष द्वारा नामित एयरलाइनों के लिए वाणिज्यिक अवसरों की पारस्परिकता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। किसी अन्य देश द्वारा अंतरराष्ट्रीय वायु सेवाओं के परिचालन से पूर्व, गंतव्य देश के साथ ए.एस.ए. की व्यवस्था आवश्यक होती है।

नागर विमानन मंत्रालय का करार प्रभाग, जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग है, विदेशी देशों के साथ संपादित सभी ए.एस.ए. से संबंधित समस्त पहलुओं का नोडल प्राधिकरण है।

भारत द्वारा संपादित ए.एस.ए.(ओं) के संबंध में, नागर विमानन मंत्रालय सभी ए.एस.ए.(ओं) का डाटाबेस संधारित कर रहा है, जिन्हें सामान्य जन-सूचना हेतु मंत्रालय की वेबसाइट पर एयरलाइनों/उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ए.एस.ए.(ओं) में निहित वाणिज्यिक विवरण अथवा अंतरराष्ट्रीय उत्थापन (uplift) के स्लॉटों के उपयोग से संबंधित विवरण नियमित रूप से अद्यतन होते रहते हैं और संभव है कि वे वर्तमान सटीक स्थिति को परिलक्षित न करें।

ओपन स्काई, बरमूडा तथा राजनयिक टिप्पणियों (Diplomatic Notes) के आदान-प्रदान जैसे पूरक करारों में संवेदनशील सूचनाएँ निहित होती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय परिचालन करने हेतु पात्र एयरलाइनों के दृष्टिकोण से अत्यंत गोपनीय राजनयिक महत्व रखती हैं। अतः, वाणिज्यिक हितों/गोपनीयता की सुरक्षा तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के मध्य संतुलन बनाए रखने हेतु, प्रचलित विनियमों के अनुसार आवश्यक सुरक्षा उपायों के अधीन, भारतीय/सामान्य पात्र लाभार्थियों तथा अंतरराष्ट्रीय परिचालकों को प्रासंगिक सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

वे भारतीय वाहक, जो प्रचलित विनियमों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय परिचालन करने की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उन्हें उक्त सूचना इस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते कि वे सूचना प्राप्त करने से पूर्व गोपनीयता उपक्रम (Confidentiality Undertaking) पर हस्ताक्षर करें। ऐसे उपक्रमों में यह मान्यता होगी कि उक्त सूचना तक पहुँच केवल विकास/परिचालन के उद्देश्य से होगी तथा उसका किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग निषिद्ध होगा। यातायात अधिकारों के आवंटन हेतु इस मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

गोपनीयता उपक्रम के अनुसरण में, भारतीय वाहकों को केवल उनके आवेदन से संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु ही पहुँच प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार होगी:-

(i) भारत द्वारा संपादित ए.एस.ए.(ओं) का पाठ नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा।

(ii) पूरक करारों के अंतर्गत आवृत्ति (Frequency) एवं क्षमता (Capacity) अधिकारिता से संबंधित सूचना को अपलोडिंग एवं प्रकटीकरण से मुक्त रखा जाएगा। तथापि, यदि कोई पात्र भारतीय वाहक, जो प्रचलित विनियमों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय परिचालन हेतु पात्रता शर्तों का अनुपालन करता हो, नागर विमानन मंत्रालय को लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है, तो ऐसी सूचना उपलब्ध कराई जा सकती है।

(iii) ऐसी सूचना का प्रकटीकरण बंद (सीलबंद) रूप में किया जाएगा, जो उक्त प्रकटीकृत सूचना के संबंध में गोपनीयता उपक्रम किए जाने के अधीन होगा तथा जिस उद्देश्य से उक्त सूचना उपलब्ध कराई गई है, उसका कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।

(iv) इन दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है।

(v) नागर विमानन मंत्रालय किसी भी भारतीय वाहक द्वारा किए गए गोपनीय अनुरोध पर, बिना कोई कारण बताए, अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। तथापि, नागर विमानन मंत्रालय गोपनीयता उपक्रम के दायरे में आने वाली किसी भी सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में, बिना कोई कारण बताए, आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।